निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1938 (श0)

(सं0 पटना 945) पटना, वृहस्पतिवार, 27 अक्तूबर 2016

खान एवं भुतत्व विभाग

अधिसूचना

4 अक्तूबर 2016

सं0 02/रा(आ0)-02/14-**2606**/एम0—श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड सं0-01/2014 दिनांक 02.01.14 धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(ई) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत इनके पटना एवं शेखपुरा स्थित निवास स्थान एवं अन्य ठिकानों की जाँच एवं तलाशी के क्रम में ज्ञात श्रोतों से अधिक 1,67,53,446/-(एक करोड़ संड़सठ लाख तीरपन हजार चार सौ छियालिस) रू0 नाजायज तरीके से प्रत्यानुपातिक धनार्जन किये जाने का ठोस साक्ष्य उजागर हुआ, जो गंभीर कदाचार की परिधि में आता है। उक्त कृत्य/कार्रवाई के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 298/एम0 दिनांक 27.01.14 द्वारा श्री झकारी राम तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा (सम्प्रति निलंबित) के विरूद्ध तथ्यों को छिपाकर गलत चल/अचल सम्पति प्रस्तुत करने, नाजायज तरीके से धनार्जन करने, गलत मंशा से पट्टाधारियों के पत्थर खनन पट्टा के मामले में अवैध उत्खनन करने में पट्टाधारियों की सहायता कर सरकारी राजस्व की हानि पहुँचाने तथा आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा जाँच एवं तलाशी में प्रत्यानुपातिक धनार्जन का ठोस साक्ष्य उजागर हुआ। यह कृत्य सरकारी सेवक के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है, जो गंभीर कदाचारिता की श्रेणी में आता है।

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005'' में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 932/एम0 दिनांक 03.03.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान ही आरोपित पदाधिकारी श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी (सम्प्रति निलंबित) के दिनांक 30.04.14 को सेवानिवृत्ति हो जाने की स्थिति में विभागीय आदेश ज्ञापांक 2579 दि0 26.06.14 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 767/एम0 दिनांक 04.03.15 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री झकारी राम, सेवानिवृत खनिज विकास पदाधिकारी के विरूद्ध सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने का अभिमत अंकित किया गया। प्रमाणित आरोपों के आधार पर विभागीय पत्रांक 1322/एम0 दिनांक 20.04.15 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी।

आरोपित पदाधिकारी से की गयी द्वितीय कारण-पृच्छा का प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रमाणित आरोपों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा (सम्प्रति-सेवानिवृत) की ''पूरी (शत-प्रतिशत) पेंशन राशि स्थायी तौर पर जब्त किये जाने'' का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

तदोपरांत प्रस्तावित दंड पर विभागीय पत्रांक 1783/एम0 दिनांक 26.05.15 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1277 दिनांक 25.07.16 द्वारा प्रस्तावित विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है।

अत: प्रत्यानुपातिक धनार्जन एवं अन्य गंभीर कदाचार के उक्त प्रमाणित आरोपों के दृष्टिगत में सम्यक समीक्षोपरांत दोषी पाते हुए श्री झकारी राम, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा, (सम्पति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार (माननीय मंत्री महोदय) द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ए)-सह-43(बी) के अन्तर्गत ''पूरी पेंशन (शत प्रतिशत) राशि स्थायी तौर पर जब्त'' करने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 945-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in